न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर

पीठासीन अधिकारी – प्रमोदकुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गोरखाराम पुत्र मुलाराम जाति विश्नोई, निवासी सांचौर 2. तेजाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई, निवासी सांचौर, तहसील सांचौर		1. कमलेश पुत्र हरिराम, जाति विश्नोई, निवासी सांचौर, तहसील सांचौर। 2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री जालाराम पुनिया।

2– अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री बाबुलाल पालडिया।

निर्णय दिनांक 29.01.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के तहत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर मे हम प्रार्थीगण व अन्य सभी दर्ज जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारान के खातेदारी व मालिकाना हक हूक के खेत खाता संख्या 302 के खेत खसरा संख्या 2570 रकबा 5.95 हैक्टर, खसरा संख्या 2571 रकबा 1.90 हैक्टर, कुल रकबा 7.85 हैक्टर के आये हुये है। जिसके चारो और 50 वर्ष पुरानी कांटो व थोर की बाड़ एवं पुराने रोहिड़ा व खेजडी व बबूल, कुमटा के दरखत खड़े है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जाकाश्त की आयी हुई है। जो नक्शे में भी किस्तवार तरमीमसुदा है इसी अनुसार मौके पर माठें कायम है लेकिन अभी की किमतों में वृद्वि होने से अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2570 के उतरी माठ को तोड़कर प्रार्थीगण के खेत को अपने खेत में मिलाकर अप्रार्थी येन–केन प्रकारेण जबरन हड़प कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं, तथा अप्रार्थी जबरन कब्जा करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी कब्जा करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी का कोई हकहकूक, कब्जा या अधिकार नही होने से ऐसा करने का उन्हें कोई कानूनी हक नहीं है। ऐसा कृत्य अप्रार्थी का अवैधानिक मनमाना व स्वेच्छाचारी है। इस प्राकर प्रार्थीगण को अप्रार्थी ने हैरान परेशान कर रखा है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने कई बार गांव के पुच–मुख्यान से पंच पंचायति भी करवाई, लेकिन अप्रार्थी अपनी बेजां हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2570 की उतरी माठो को जे.सी.बी. से तौड–फौड कर पक्का निर्माण करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी की उतरी माठ को तौडकर जे.सी.बी. से वर्षो पुराने थोर व दरखत को काटा जिसका मुकदमा नम्बर 334 / 2024 पुलिस थाना सांचौर मे दर्ज करवाया उसके बावजूद भी अपनी गलत हरकतो से बाज आ रहा है तथा पक्का निर्माण करना चाहते है तथा प्रार्थीगण के कब्जे में दखलन्दाजी पैदा करते है। यदि अप्रार्थी जबरन प्रार्थीगण को वादग्रस्त हक हकूक तथा काश्त करने से रोककर व बेदखल कर भूमि से वंचित कर हड़प करना चाहता है। ऐसी सूरत में वाद की बहूलताएं बढेगी, कानूनी जटिलताएं बढ़ेगी एवं प्रार्थीगण को तरह तरह की मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने जन्मसिद्व हक से वंचित रह जायेगा तथा प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं है। इस प्रकार कानूनी अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आधार स्तम्भ प्रार्थीगण के पक्ष में है, जिससे प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा सांचौर के खाता संख्या 302 के खेत खसरा संख्या 2570 रकबा 5.95 हैक्टर, खसरा संख्या 2571 रकबा 1.90 हैक्टर, कुल रकबा 7.85 हैक्टर पर अप्रार्थी 01 प्रार्थीगण को अपने मालिकाना हक हकूक में किसी प्रकार काश्त क[illegible] से, हक एवं कब्जे की भूमि मे जबरन प्रवेश कर काश्त नही करे एवं न ही कर[illegible] प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे एवं न ही करावें तथा न ही आराजी में किसी[illegible] कब्जा या पक्का निर्माण वगैरा नहीं करे एवं प्रार्थीगण के खाते[illegible] मौके पर पुराने माठ इत्यादि को तोड़ फोड नही [illegible] से करावे। इस आशय [illegible] निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] जारी किये गये। अप्रार्थी[illegible] तामिल के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। तद्उपरान्त अप्रार्थी 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 6, 7 सी.पीसी. का पेश कर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एकपक्षिय कार्यवाही मन्सूख करने का निवेदन किया। जिस पर सुनवाई के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी 01 के विरूद्व एकपक्षिय अपास्त की गयी।

3. अप्रार्थी 01 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालडिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांचौर के खाता संख्या 302 के वादग्रस्त खेत खसरा संख्या संख्या 2570 रकबा 5.95 हैक्टर, खसरा संख्या 2571 रकबा 1.90 हैक्टर कुल रकबा 7.85 हैक्टर के वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदारान भी रेकर्डेड खातेदार है। जिन्हें इस दावा व प्रार्थना पत्र की कार्यवाही मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्ष/विपक्ष में संयोजित करना विधिनुसार आवश्यक था। इन आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के परिणामस्वरूप मूलवाद मय हस्तगत अस्थायी व्यादेश आवेदन–पत्र की कार्यवाही कानूनीया विधिवर्जित होकर सधारण योग्य नही है। यह कहना सर्वदा प्रार्थीगण का मिथ्या है कि अप्रार्थी मौजा–सांचौर प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2570 पर कब्जा के फिराक में हो। तथा इस खेत की उतरी माठ अप्रार्थीगण आये दिन तोडते रहते हो। व अप्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 2570 की माठ तोड़कर प्रार्थीगण के उक्त खेत को अपपने खेत खसरा संख्या 2579 में मिलाना चाहते हो ये आरोप प्रार्थीगण के सर्वदा मिथ्यस व निराधार है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 01.08.2024 से पूर्व दिनांक 23.07.2024 को तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमाक 67 दिनांक 23.07.2024 की पालना में हल्का पटवारी सांचौर द्वारा मौका जांच की मौका फर्द दिनांक 28.07.2024 खेत खसरा संख्या 2570 व 2579 के बीच स्थायी सीमाचिन्ह के अभाव में माठ का विवाद था। तथा खेत खसरा संख्या 2570 के खातेदारान(प्रार्थीगण) ने सीमाज्ञान कर सीमाकंन करने में असहमत होकर तनाजा कर रहे थे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर सेढ़ा तोड़ने का पुलिस थाना सांचौर में दिनांक 259.07.2024 मुकदमा नम्बर 334/2024 जुर्मधारा 324(4), 324(5), 329(3) बी.एन.एस. 2023 का झूठा मुकदमा किया। जिसे बाद अनुसंधान झूठा मानकर एफ आर लगाई। इससे भी प्रार्थीगण के अप्रार्थी पक्ष पर सेढ़ा तोड़ने के अधिरोपित आरोप झूठे होना प्रमाणित है। वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 2570 व 2579 के बीच वैधानिक प्रक्रिया से सीमांकन होकर स्थाई सीमाचिन्ह निर्धारण की कानूनी कार्यवाही के विरूद्व विधिनुसार कोई स्थाई निषेधाज्ञा अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। दावा अनवान के विनायवाद से सम्बन्धित सेढे के विवाद का पत्थरगढी के आदेश के साथ स्थाई हल हो चुका है। तथा अब यह मूलवाद मय हस्तगत अस्थाई व्यादेश की कार्यवाही प्रभावशून्य हो चुकी है। अतः सशपथ जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, विधिवर्जित होकर संधारण योग्य नही होने से तथा राजस्व मूल प्रकरण संख्या 166/2024 निर्णरू दिनांक 25.10.2024 के पत्थरगढ़ी निर्धारण के निर्णय के साथ हस्तगत प्रकरणों का विनायवाद प्रभावशून्य हो जाने से प्रार्थीगण का यह अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन–पत्र मय खर्चा खारिज फरमावे।

4. प्रकरण में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते अपनी बहस में कथन किया कि सरहद मौजा सांचौर के खाता संख्या 302 के खेत खसरा संख्या 2570 व 2571 स्थित है जिसकी चारों ओर 50 वर्ष पुरानी कांटो व थोर की बाड़ एवं पुराने रोहिडा व खेजड़ी, बबुल व कुमटा के दरखत खड़े है। जो नक्शे में भी किस्तवार तरमीमशुदा है अप्रार्थी आये दिन वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2570 के उतरी माठ को तोड़कर प्रार्थीगण को खेत से बेदखल करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी जबरन कब्जा करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का कोई किसी प्रकार का हक हकूक नही है। जबरन खसरा संख्या 2570 की उतरी माठ को जे.सी.बी. से पुराने दरखतो को काटा, जिसका मुकदमा नम्बर 334/2024 पुलिस थाना में दर्ज करवाया। इसके बावजूद अप्रार्थी अपनी हरकतो से बाज नही आ रहा है, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग में दखन्लनदाजी पैदा करते है। अप्रार्थी ऐलानिया धमकिया दे रहा है कि जबरन खेत पर कब्जा कर दुंगा तथा पक्का निर्माण करूंगा। जिसे रोका जाना न्यायसंगत है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

6. प्रतिउत्तर मे अप्रार्थी अधिवक्ता जवाब प्रार्थनाा पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि मौजा सांचौर के खाता संख्या 302 के वादग्रस्त खेत खसरा संख्या संख्या 2570 रकबा 5.95 हैक्टर, खसरा संख्या 2571 रकबा 1.90 हैक्टर कुल रकबा 7.85 हैक्टर के वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदारान भी रेकर्डेड खातेदार है। जिन्हें इस दावा व प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार होने से पक्ष/विपक्ष में संयोजित करना विधिनुसार आवश्यक था। इन आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के परिणामस्वरूप मूलवाद मय हस्तगत अस्थायी व्यादेश आवेदन–पत्र की कार्यवाही कानूनीया विधिवर्जित होकर सधारण योग्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 01.08.2024 से पूर्व दिनांक 23.07.2024 को तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमाक 67 दिनांक 23.07.2024 की पालना में हल्का पटवारी सांचौर द्वारा मौका जांच की मौका फर्द दिनांक 28.07.2024 खेत खसरा संख्या 2570 व 2579 के बीच स्थायी सीमाचिन्ह के अभाव में माठ का विवाद था। तथा खेत खसरा संख्या 2570 के खातेदारान(प्रार्थीगण) ने सीमाज्ञान कर सीमाकंन करने में असहमत होकर तनाजा कर रहे थे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर सेढ़ा तोड़ने का पुलिस थाना सांचौर में दिनांक 259.07.2024 मुकदमा नम्बर 334/2024 जुर्मधारा 324(4), 324(5), 329(3) बी.एन.एस. 2023 का झूठा मुकदमा किया। जिसे बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसंधान झूठा मानकर एफ आर लगाई। दावा अनवान के विनायवाद से सम्बन्धित सेढ़े के विवाद का पत्थरगढ़ी के आदेश के साथ स्थाई हल हो चुका है। तथा अब यह मूलवाद मय हस्तगत अस्थाई व्यादेश की कार्यवाही प्रभावशून्य हो चुकी है। अतः सशपथ जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, विधिवर्जित होकर संधारण योग्य नही होने से तथा राजस्व मूल प्रकरण संख्या 166/2024 निर्णरू दिनांक 25.10.2024 के पत्थरगढ़ी निर्धारण के निर्णय के साथ हस्तगत प्रकरणों का विनायवाद प्रभावशून्य हो जाने से प्रार्थीगण का यह अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन–पत्र काबिल खारिज है।

7. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो ध्यानपूर्वक का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2024–77 में दर्ज अन्य खातेदारान को पक्षकार संयोजित नही किया गया। इस प्रकार पक्षकार संयोजन के अभाव में भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 01 के बीच सीमा विवाद होना प्रतित हो रहा है जिसका स्थायी हल सीमांकन/नेखमबन्दी से ही सम्भव है। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नही किया है, जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा जबरन प्रार्थीगण की आराजी में प्रवेश या कब्जा किया जा रहा हो। इस प्रकार प्र्याप्त दस्तावेजों के अभाव में तथा पक्षकार संयोजन के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से एतदद्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:10 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोदकुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner